दिनांक 10.08.2022
प्रेस विज्ञप्ति 10/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना नई मण्डी

- **पुलिस कार्यवाही में 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 10 हजार 500 रूपये नगद**
- **लूट के लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये कीमत की सोने के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 09.08.2022 को थाना नई मण्डी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना नई मण्डी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में बदमाश शहजाद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 10 हजार 500 रूपये नगद, 01 लाख 50 हजार रूपये कीमत की सोने के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 06.08.2022 को थाना नई मण्डी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये, आभूषण उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर अपहरण, डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शहजाद निवासी मिमलाना रोड थाना कोतवाली नगर, जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—लूट के 10 हजार 500 रूपये नगद।

2—01 लाख 50 हजार रूपये कीमत की सोने के आभूषण।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर)।

जनपद बुलन्दशहर/थाना छतारी

- **पुलिस कार्यवाही में 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 30 हजार रूपये नगद**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 09.08.2022 को थाना छतारी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोधा बम्बें के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 03 शातिर अभियुक्तों 1—चरण 2—राहुल 3—राजू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 30 हजार रूपये नगद, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.08.2022 को थाना छतारी क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना छतारी पर अभियोग पंजीकृत

कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया आदि लूट की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त चरण के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, बदायूँ, सम्भल, गाजियाबाद, अलीगढ़ कमिश्नेरट गौतमबुद्धनगर एंव उत्तराखण्ड प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 22 अभियोग, अभियुक्त राहुल के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, बदायूँ, अलीगढ़ एवं दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग एवं अभियुक्त राजू के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, बदायूँ, अलीगढ़ व दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना छतारी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—चरण निवासी मेंगरा थाना जुनामई जनपद सम्भल।

2—राहुल निवासी मेंगरा थाना जुनामई जनपज सम्भल।

3—राजू निवासी छतुइया थाना उझानी जनपद बदायूँ।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के 30 हजार रूपये नगद।

2—03 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि।

जनपद चित्रकूट/थाना रैपुरा

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के लगभग 03 लाख 50 हजार रूपये कीमत के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **लूट के 10 हजार रूपये नगद**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 10.08.2022 को थाना रैपुरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नोनमई से 05 अभियुक्तों 1–सत्यम 2–अजय 3– शैलेन्द्र उर्फ साहिल 4–अमित 5–मुकेश को गिरफ्तार कर डकैती की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के लगभग 03 लाख 50 हजार रूपये कीमत के सोने–चॉदी के आभूषण, लूट के 10 हजार रूपये नगद, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.08.2022 को थाना रैपुरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रैपुरा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये, आभूषण उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रैपुरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सत्यम निवासी कृष्णानगर कस्बा व थाना बबेरू जनपद बांदा।

2–अजय निवासी प्रभाकर नगर बबेरू थाना बबेरू जनपद बांदा।

3–शैलेन्द्र उर्फ साहिल निवासी मनोरथ थोक सुन्दर कुआं थाना बेबरू जनपद बांदा।

4–अमित निवासी दूल थोक बेबरू थाना बेबरू जनपद बांदा।

5–मुकेश निवासी झील का पुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

बरामदगी

1–लूट के लगभग 03 लाख 50 हजार रूपये कीमत के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–लूट के 10 हजार रूपये नगद।

3–03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मुरादाबाद/थाना कुन्दरकी

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 10.08..2022 को थाना कुन्दरकी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कनकपुर, मुरादाबाद रोड पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त आमिर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, सम्भल के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 23 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना पाकबड़ा पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कुन्दरकी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–आमिर निवासी मिलक सीकमपुर थाना टांडा जनपद रामपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल।

जनपद बागपत/थाना कोतवाली बडौत

- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी का लोहा 04 कुन्तल 20 किलोग्राम**
- **चोरी के 07 गुल्ले लोहे के**
- **चोरी के 03 कोल्हु के पार्ट**
- **चोरी के 02 ई–रिक्शा के पार्ट**
- **घटना में प्रयुक्त 03 चार पहिया वाहन**
- **चोरी के सामान बिकी से प्राप्त 6000 रुपये**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 09.08.2022 को थाना कोतवाली बडौती व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 05 अभियुक्तों 1–नौमान 2–वज्जु उर्फ वाजिद 3–आस मोहम्मद उर्फ आशु 4–आरिफ 5–ईनाम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी का लोहा 04 कुन्तल 20 किलोग्राम, चोरी के 07 गुल्ले लोहे के, चोरी के 03 कोल्हु के पार्ट, चोरी के 02 ई–रिक्शा के पार्ट, घटना में प्रयुक्त 03 चार पहिया वाहन, चोरी के सामान बिकी से प्राप्त 6000 रुपये, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त आरिफ के विरूद्ध जनपद बागपत के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग, अभियुक्त वज्जू उर्फ वाजिद के विरूद्ध जनपद बागपत के थाना बडौत पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग, अभियुक्त ईनाम के विरूद्ध जनपद बागपत के थाना बडौत पर चोरी आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त आस मोहम्मद उर्फ आसू के विरूद्ध जनपद बागपत के थाना बडौत पर चोरी आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद माल चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नौमान निवासी गुराना रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

2–वज्जु उर्फ वाजिद निवासी काशीराम कालोनी मलकपुर रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

3–आस मोहम्मद उर्फ आशु निवासी बडका रोड कस्बा व थाना बडौत, बागपत।

4–आरिफ निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपतज।

5–ईनाम निवासी गुराना रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी

1–चोरी का लोहा 04 कुन्तल 20 किलोग्राम।

2–चोरी के 07 गुल्ले लोहे के।

3–चोरी के 03 कोल्हु के पार्ट।

4–चोरी के 02 ई–रिक्शा के पार्ट।

5–घटना में प्रयुक्त 03 चार पहिया वाहन।

6–चोरी के सामान बिक्री से प्राप्त 6000 रुपये।

7–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस आदि।

जनपद गोरखपुर/थाना पीपीगंज

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 09.08.2022 को थाना पीपीगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिंहोरवा मोड़ से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अखिलेश उर्फ भोला को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसके विरूद्ध चोरी, हत्या, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 42 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना पीपीगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पीपीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अखिलेश उर्फ भोला निवासी वार्ड नं0–4 कस्बा व थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर।

जनपद मथुरा/थाना कोसीकलॉ

- **04 अवैध शस्त्र तस्कर गिरफ्तार गिरफ्तार**
- **09 अवैध पिस्टल, 04 मैगजीन**
- **11 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद**

दिनांक 10.08.2022 को थाना कोसीकलां व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नन्दगॉव पुल के पास सर्विस रोड पर 04 अवैध शस्त्र तस्करों 1–गिरीश 2–मनोज 3–दुर्गेश 4–करन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 09 अवैध पिस्टल, 04 मैगजीन, 11 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त दुर्गेश के विरूद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानों पर आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोसीकलां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गिरीश निवासी मीरा बिहार कालोनी लक्ष्मीनगर थाना जमुनापार जनपद मथुरा।

2—मनोज निवासी ओम कालेश्वर कालोनी टाउनशिप थाना रिफाइनरी जनपद मथुरा।

3—दुर्गेश निवासी गोरानगर कालोनी थाना वृन्दावन जनपद मथुरा।

4—करन निवासी मुरसान किला थाना मुरसान जनपद हाथरस।

बरामदगी

1—09 अवैध पिस्टल, 04 मैगजीन।

2—11 अवैध तमंचा 315 बोर।

एस0टी0एफ0—थाणे, महाराष्ट्र से न्यायिक अभिरक्षा से फरार एवं डकैती की घटना में वांछित 02 अभियुक्त जनपद सिद्धार्थनगर से गिरफ्तार।

दिनॉकः 10—08—2022 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाणे रूरल महाराष्ट्र पुलिस के साथ थाना कोनगांव थाणे सिटी, महाराष्ट्र में पंजीकृत मु0अ0सं0—118/2021 धारा 224 भा0द0वि0 एवं मु0अ0सं0 27/22 धारा 395/450/342/506 भा0द0वि0 थाना शाहपुर, जिला थाणे रूरल महाराष्ट्र में वांछित 02 अभियुक्तों को थानाक्षेत्र शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1— खुर्शीद पुत्र अब्दुल हमीद ग्राम पोस्ट धनौरा मुस्तहकम, थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर।

2— अशरफ पुत्र अब्दुल हमीद ग्राम पोस्ट धनौरा मुस्तहकम, थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर।

<u>बरामदगीः</u>—

1— नगद 920/— रूपये।

2— 02 अदद मोबाइल फोन।

3— 01 अदद कार एम0एच0—15 ए0एस0—2750 (चोरी/डकैती में रेकी करने के लिए प्रयोग किया जाता था)

<u>गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थानः</u>—

दिनांक 10—08—2022 को समय लगभग 02.50 बजे धनौरा मुस्तहकम के पास थानाक्षेत्र शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर।

थाना कोनगांव, थाणे सिटी, महाराष्ट्र में मु0अ0सं0—118/2021 धारा 224 भा0द0वि0 एवं थाना शाहपुर, जिला थाणे रूरल महाराष्ट्र में मु0अ0सं0 27/22 धारा 395, 450, 342, 506 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ था। जिसके विवेचना के क्रम में इन अभियोगों में वांछित अभियुक्तों के उत्तर प्रदेश में होनी बात प्रकाश में आई। महाराष्ट पुलिस द्वारा एसटीएफ उ0प्र0 से आवश्यक सहयोग मांगा गया था। जिसके क्रम में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई गोरखपुर को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। श्री लाल प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में एससटीएफ फील्ड इकाई, गोरखपुर से निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में हे0कां0 अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, हे0कां0 अशोक कुमार सिंह, हे0कां0 अभिलाष कुमार तिवारी, कां0 गौरव प्रताप सिंह की टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में एस0टी0एफ0 के संसाधनों के प्रयोग व विश्वसनीय स्रोत के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाणे, महाराष्ट्र से न्यायिक अभिरक्षा से फरार एवं डकैती में वांछित कुछ सदस्य सिद्धार्थनगर में सक्रिय हैं। जिस पर महाराष्ट्र पुलिस के

पीएसआई विकास निकम, एचसी शशिकान्त तानाजी पाटिल, पीएन रामु साहेब कुन्जा केदार, पीएन विकास सनाप, पीसी रमेश गोविन्द नलवड़े, पीसी कुनाल दिलीप राव भामरे, थाणे रूरल महाराष्ट्र से सूचनाओं का आदान प्रदान कर अभिसूचनाओं को और विकसित करते हुए एसटीएफ फील्ड इकाई गोरखपुर व महाराष्ट पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घेराबन्दी कर दोनों अभियुक्तों को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ पर खुर्शीद ने बताया कि वह न्यायिक अभिरक्षा में था। इसी दौरान कोविड पाजिटिव हो जाने के उपरान्त इसका टाटा आमंत्रण कोविड सेन्टर कल्याणपुरी में इजाल चल रहा था। कोविड सेन्टर के 16 मंजिल विल्डिंग से पानी का पाइप के सहारे उतर कर भाग गया था। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त खुर्शीद के विरूद्ध थाना गणेशपुरी, जिला थाणे रूरल, महाराष्ट्र में पंजीकृत मु0अ0सं0—37/2017 धारा 380/457 भा0द0वि0 एवं थाना गणेशपुरी, जिला थाणे रूरल, महाराष्ट्र में पंजीकृत मु0अ0सं0—98/2016 धारा 380/457/454 भा0द0वि0 में इसे दो वर्ष की सजा हो चुकी है।

गिरफ्तार अभियक्तों को थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर में दाखिल कर अग्रिम कार्यवाही थाना शाहपुर, थाणे ग्रामीण, महाराष्ट्र पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>खुर्शीद का आपराधिक इतिहास</u> :—

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	27/22	395/450/342/506 भा0द0वि0	शाहपुर	जिला थाणे,रूरल महाराष्ट्र
2.	307/2016	380/454/457/34 भा0द0वि0	पेडागा	जिला थाणे रूरल महाराष्ट्र
3.	37/2017	380/457 भा0द0वि0 (02 वर्ष की सजा हो चुकी है।)	गनेशपुरी	जिला थाणे रूरल महाराष्ट्र
4.	98/2016	380/454/457/34भा0द0वि0 (02 वर्ष की सजा हो चुकी है।)	गनेशपुरी	जिला थाणे रूरल महाराष्ट्र
5.	118/2021	224 भा0द0वि0	कोनगांव	जिला थाणे सिटी महाराष्ट्र
6.	1035/2018	380/457/411 भा0द0वि0	सेंधवा	मध्य प्रदेश

<u>**अशरफ का आपराधिक इतिहास**</u> :—

क्र0सं0	**मु0अ0सं0**	**धारा**	**थाना**	**जनपद**
1.	27/22	395/450/342/506 भा0द0वि0	शाहपुर	जिला थाणे रूरल महाराष्ट्र
2.	307/2016	380/454/457/34 भा0द0वि0	पेडागा	जिला थाणे रूरल महाराष्ट्र
3.	37/2017	380/457 भा0द0वि0	गनेशपुरी	जिला थाणे रूरल महाराष्ट्र
4.	98/2016	380/454/457/34 भा0द0वि0	गनेशपुरी	जिला थाणे रूरल महाराष्ट्र
5.	118/2021	224 भा0द0वि0	कोनगांव	जिला थाणे सिटी महाराष्ट्र
6.	1035/2018	380/457/411 भा0द0वि0	सेंधवा	मध्य प्रदेश

——————————